फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

मोहरी लाल **बनाम** सुभाष चन्द स्वामी

केस संख्या : 38/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 27.02.2024 | दरख्वास्तगुजार ने तहसीलदार चौमू के समक्ष विचाराधीन दावा सख्या 03/2019 ब–उनवानी गुलाब देवी बनाम मोहरी लाल में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। तहसीलदार चौमू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 18.03.2024 को पेश हो।<br>जिला कलक्टर<br>जयपुर (ग्रामीण) | टि० 372 27.2.24 |
| 18-3.24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील प्रार्थी ने अवगत कराया है कि तहसीलदार चौमू के पीठासीन अधिकारी श्री सुभाष चन्द स्वामी आर.टी.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।<br>प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार चौमू के पीठासीन अधिकारी श्री सुभाष चन्द स्वामी आर टी एस का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रा०पत्र स्वत ही प्रभाव शून्य हो जाने से मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।<br>जिला कलक्टर<br>जयपुर (ग्रामीण) | |

Scanned with OKEN Scanner